प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/HBNC / 18–22 / 2017–18 / 1096-75 **दिनांक** 16-05-17

विषय–होमबेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि होमबेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के क्रियान्वयन हेतु **महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के स्तर से जारी पत्र संख्या–प0क0 / आर0सी0एच0 / एच0बी0एन0सी0 / 2015–16 / 3699–75, दिनांक 28.03.2016** के क्रम में नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में 1000 की आबादी पर कार्य करने वाली आशाओं को प्रतिमाह औसतन 3 नवजात शिशु के गृह भ्रमण पूर्ण करने के उपरान्त प्रति नवजात रू0 250 प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था। जनपदों द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर जनपदों के लक्ष्य जनगणना 2011 की जन्मदर के अनुसार आंशिक परिवर्तन करते हुये पुनः जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जन्म दर के अनुसार अनुमानित नवजात शिशुओं की संख्या के आधार पर प्रथम छमाही हेतु आशाओं के गृह भ्रमण हेतु जनपदों को प्रतिपूर्ति राशि अवमुक्त की जा रही है। जनपद ब्लाकों को उनके क्षेत्र में अनुमानित जीवित जन्मों के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जाये।

आशाओं को वर्ष 2017–18 से प्रतिमाह निर्धारित किये गये नवीन लक्ष्य के अनुसार वास्तविक नवजात शिशुओं के गृह भ्रमण के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। धनराशि का व्यय उपरोक्त दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।

वित्त पोषण

वर्ष 2017–18 हेतु होमबेस्ड न्यूबार्न केयर (एच0बी0एन0सी0) कार्यक्रम अन्तर्गत माड्यूल 6 एवं 7 में प्रशिक्षित आशाओं को शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त गृह भ्रमण के उपरान्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने हेतु मिशन फ्लैक्सीपूल मद में **FMR Code-B1.1.3.2.1 पर संलग्न जनपदवार तालिकानुसार** 6 माह हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि का नियमानुसार समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण–

महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुयें होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि व्यय करें तथा होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश के ई–मेल hbncupreport@gmail.com पर दिशा निर्देशों के साथ संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट– यदि जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो मांग पत्र व्यय विवरण के साथ प्रेषित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/HBNC/18–22/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **अपर मुख्य सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण**, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. **अधिशासी निदेशक,** टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (TSU-UP) रतन स्क्वायर टावर लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त जिलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **संयुक्त निदेशक,** परिवार कल्याण, प0क0, महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. **महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. **हैल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ**, बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

Under HBNC Programme Module 6/7 trained ASHA Incentive (Apl. to Sep. 2017)

S. N.	Name of Districts	Rural Population (2011)	Percentage Decadal Growth	CBR (Rural population)	Estimated population (2016)	Total number of ASHAs in rural blocks of the district (assuming that entire rural population is covered by ASHAs)	Average rural population covered by ASHA	Number of ASHAs trained in round-1 of module 6 & 7 (Excluding Sanginis) in rural block	Rural population covered by ASHAs trained in round-1 of module 6 & 7	Expected number of live births (Half Early) in Round-1 trained ASHAs areas	Average number of newborns/ month/ trained ASHA	Total Fund Released to DHS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
FMR Code			**B1.1.3.2.1**									
Tally Code			**B.1.1.3.2.A**									
1	Agra	2371296	15.45	23.3	2554479	2806	910	2150	1957280	22802	1.77	**5700500**
2	Aligarh	2457268	15.50	27.6	2647706	2850	929	2332	2166474	29897	2.14	**7474250**
3	Allahabad	4483188	20.18	30.3	4935542	4371	1129	1920	2167980	32845	2.85	**8211250**
4	Ambedkar Nagar	2117138	14.70	26.2	2272748	2372	958	2088	2000631	26208	2.09	**6552000**
5	Amethi	1819095	18.30	25.2	1985542	2250	882	1570	1385467	17457	1.85	**4364250**
6	Auraiya	1138082	12.57	23.8	1209610	1266	955	1078	1029984	12257	1.90	**3064250**
7	Azamgarh	4223125	15.94	27.1	4559708	4220	1080	2540	2744469	37188	2.44	**9297000**
8	Badaun	3067803	22.11	24	3406949	2563	1329	1232	1637675	19652	2.66	**4913000**
9	Baghpat	1028021	10.00	26.1	1079422	1028	1050	752	789616	10304	2.28	**2576000**
10	Bahraich	3191039	29.53	23.1	3662196	3191	1148	2778	3188211	36824	2.21	**9206000**
11	Ballia	2919799	17.23	22.3	3171340	2919	1086	1195	1298305	14476	2.02	**3619000**
12	Balrampur	1982784	28.19	41.2	2262257	1979	1143	1763	2015341	41516	3.92	**10379000**
13	Banda	1523378	21.14	25.7	1684399	1523	1106	1029	1138048	14624	2.37	**3656000**
14	Barabanki	2927736	20.74	28.6	3231342	3258	992	2141	2123482	30366	2.36	**7591500**
15	Bareilly	2902849	19.60	31.4	3187328	2903	1098	1730	1899441	29821	2.87	**7455250**
16	Basti	2322939	17.99	38.4	2531887	2323	1090	2146	2338971	44908	3.49	**11227000**
17	Bijnor	2758262	16.37	25	2984026	3070	972	1944	1889559	23619	2.02	**5904750**
18	Bulandsahar	2630716	12.99	25.4	2801581	2291	1223	1898	2320996	29477	2.59	**7369250**
19	Chandauli	1707610	16.19	24.1	1845841	1953	945	1650	1559466	18792	1.90	**4698000**
20	Chitrakoot	894274	23.28	28.8	998367	852	1172	726	850722	12250	2.81	**3062500**
21	Deoria	2781739	13.73	30.3	2972705	2930	1015	2080	2110316	31971	2.56	**7992750**
22	Etah	1492704	14.76	27.5	1602866	1492	1074	1385	1487915	20459	2.46	**5114750**
23	Etawah	1212850	17.66	24.4	1319945	1372	962	1022	983224	11995	1.96	**2998750**
24	Faizabad	2125588	17.59	26.4	2312533	2556	905	1338	1210552	15979	1.99	**3994750**
25	Farrukhabad	1472283	19.81	23	1618113	1497	1081	1195	1291680	14854	2.07	**3713500**

Under HBNC Programme Module 6/7 trained ASHA Incentive (Apl. to Sep. 2017)												
S. N.	Name of Districts	Rural Population (2011)	Percentage Decadal Growth	CBR (Rural population)	Estimated population (2016)	Total number of ASHAs in rural blocks of the district (assuming that entire rural population is covered by ASHAs)	Average rural population covered by ASHA	Number of ASHAs trained in round-1 of module 6 & 7 (Excluding Sanginis) in rural block	Rural population covered by ASHAs trained in round-1 of module 6 & 7	Expected number of live births (Half Early) in Round-1 trained ASHAs areas	Average number of newborns/ month/ trained ASHA	Total Fund Released to DHS
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
FMR Code		B1.1.3.2.1										
Tally Code		B.1.1.3.2.A										
26	Fathepur	2310086	11.56	26.1	2443609	2311	1057	1418	1499367	19567	2.30	**4891750**
27	Firozabad	1664491	14.07	26	1781588	1664	1071	1017	1088867	14155	2.32	**3538750**
28	Gautambudha Nagar	677304	2.16	22.7	684619	778	880	441	388068	4405	1.66	**1101250**
29	Ghazipur	3348855	19.42	23	3674029	3623	1014	2751	2789747	32082	1.94	**8020500**
30	Ghziabad	904603	1.28	23.1	910392	688	1323	588	778068	8987	2.55	**2246750**
31	Gonda	3206240	24.69	36.9	3602050	3186	1131	2286	2584522	47684	3.48	**11921000**
32	Gorakhpur	3603294	18.89	29.7	3943625	3603	1095	3078	3368992	50030	2.71	**12507500**
33	Hamirpur	894707	9.11	28.9	935461	1104	847	764	647366	9354	2.04	**2338500**
34	Hapur	922132	12.99	25.4	982024	717	1370	692	947784	12037	2.90	**3009250**
35	Hardoi	3550389	18.70	28.9	3882350	3550	1094	2933	3207587	46350	2.63	**11587500**
36	Hathras	1232081	14.98	28.6	1324364	1232	1075	973	1045946	14957	2.56	**3739250**
37	J.P. Nagar	1382115	22.22	27.1	1535668	1419	1082	1200	1298662	17597	2.44	**4399250**
38	Jalaun	1251964	12.39	21	1329523	1381	963	987	950210	9977	1.68	**2494250**
39	Jaunpur	4142423	14.36	25.2	4439849	4145	1071	3305	3540097	44605	2.25	**11151250**
40	Jhansi	1164749	12.74	23.3	1238944	1260	983	961	944940	11009	1.91	**2752250**
41	Kannauj	1377419	19.06	29.4	1508687	1492	1011	1224	1237690	18194	2.48	**4548500**
42	Kanpur Nagar	1557822	13.67	20.5	1664299	1686	987	1545	1525114	15632	1.69	**3908000**
43	Kashiram Nagar	1149795	17.41	31.1	1249885	1150	1087	932	1012950	15751	2.82	**3937750**
44	Kaushambhi	1472538	22.69	25.1	1639597	1660	988	1502	1483539	18618	2.07	**4654500**
45	Kushinagar	3392768	22.96	27.3	3782258	3392	1115	2067	2304813	31461	2.54	**7865250**
46	Lakhimpur Kheri	3552289	24.13	30.1	3980873	3552	1121	2750	3082038	46385	2.81	**11596250**
47	Lalitpur	1042907	24.78	22	1172123	982	1194	808	964435	10609	2.19	**2652250**
48	Lucknow	1550737	16.87	22.2	1681542	1551	1084	1358	1472298	16343	2.01	**4085750**
49	Maharajganj	2530502	22.64	31.5	2816955	2666	1057	2399	2534837	39924	2.77	**9981000**
50	Mahoba	690377	14.40	24.4	740084	697	1062	540	573379	6995	2.16	**1748750**

Under HBNC Programme Module 6/7 trained ASHA Incentive (Apl. to Sep. 2017)

S. N.	Name of Districts	Rural Population (2011)	Percentage Decadal Growth	CBR (Rural population)	Estimated population (2016)	Total number of ASHAs in rural blocks of the district (assuming that entire rural population is covered by ASHAs)	Average rural population covered by ASHA	Number of ASHAs trained in round-1 of module 6 & 7 (Excluding Sanginis) in rural block	Rural population covered by ASHAs trained in round-1 of module 6 & 7	Expected number of live births (Half Early) in Round-1 trained ASHAs areas	Average number of newborns/ month/ trained ASHA	Total Fund Released to DHS
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
FMR Code			B1.1.3.2.1									
Tally Code			B.1.1.3.2.A									
51	Mainpuri	1562861	14.61	29.3	1677028	1562	1074	1123	1205699	17663	2.62	**4415750**
52	Mathura	1788001	20.20	25.1	1968589	1788	1101	1123	1236424	15517	2.30	**3879250**
53	Mau	1705386	14.10	24.6	1825616	1751	1043	1620	1689033	20775	2.14	**5193750**
54	Meerut	1684832	10.71	27.1	1775055	1688	1052	1510	1587875	21516	2.37	**5379000**
55	Mirzapur	2148058	20.12	26.6	2364153	2148	1101	1609	1770913	23553	2.44	**5888250**
56	Moradabad	1793686	20.78	25.4	1980050	2218	893	1341	1197136	15204	1.89	**3801000**
57	Muzaffar Nagar	2119273	11.71	27.7	2243356	2267	990	1432	1417065	19626	2.28	**4906500**
58	Pilibhit	1682069	17.31	30.5	1827652	1426	1282	1034	1325240	20210	3.26	**5052500**
59	Pratapgarh	2997891	15.90	24.4	3236223	3041	1064	2550	2713703	33107	2.16	**8276750**
60	Raebareli	2622247	19.16	22.1	2873458	2305	1247	1903	2372317	26214	2.30	**6553500**
61	Kanpur Dehat	1621654	11.41	25.5	1714169	1700	1008	1494	1506452	19207	2.14	**4801750**
62	Rampur	2004549	21.02	27.1	2215227	1705	1299	1427	1854035	25122	2.93	**6280500**
63	Saharanpur	2400420	11.68	26.9	2540605	2695	943	1567	1477227	19869	2.11	**4967250**
64	Sambhal	1252667	20.78	25.4	1382819	1776	779	1664	1295614	16454	1.65	**4113500**
65	Sant Kabir Nagar	1586160	20.19	28.2	1746283	1586	1101	1472	1620762	22853	2.59	**5713250**
66	Sant Ravidas Nagar	1325312	12.29	21.7	1406752	1355	1038	1156	1200152	13022	1.88	**3255500**
67	Shahjahanpur	2410968	24.31	27.2	2704021	2597	1041	2027	2110532	28703	2.36	**7175750**
68	Shamli	982241	11.71	27.7	1039751	982	1059	544	575993	7977	2.44	**1994250**
69	Shravasti	1076166	30.82	32.8	1242003	1114	1115	1018	1134972	18614	3.05	**4653500**
70	Sidharth Nagar	2393289	21.96	27.4	2656072	2393	1110	1594	1769235	24239	2.53	**6059750**
71	Sitapur	3944454	23.77	28.4	4413252	3944	1119	1640	1835125	26059	2.65	**6514750**
72	Sonbhadra	1548549	25.96	23	1749551	1548	1130	1251	1413881	16260	2.17	**4065000**
73	Sultanpur	2290161	17.25	25.2	2487687	2556	973	1784	1736320	21878	2.04	**5469500**
74	Unnao	2577332	12.61	28.3	2739833	2623	1045	2036	2126687	30093	2.46	**7523250**
75	Varanasi	2082934	10.91	26.8	2196558	2083	1055	1885	1987764	26636	2.36	**6659000**
Total		**155111022**	**17.81**		**167,592,043**	**160175**	**79655**	**118005**	**125017276**	**1693620**		**423405000**

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/HBNC/18–22/2017–18/ दिनांक 16-05-17

विषय–होमबेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि होमबेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के क्रियान्वयन हेतु **महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के स्तर से जारी पत्र संख्या–प0क0/आर0सी0एच0/एच0बी0एन0सी0/2015–16/3699–75, दिनांक 28.03.2016** के क्रम में नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में 1000 की आबादी पर कार्य करने वाली आशाओं को प्रतिमाह औसतन 3 नवजात शिशु के गृह भ्रमण पूर्ण करने के उपरान्त प्रति नवजात रू0 250 प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था। जनपदों द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर जनपदों के लक्ष्य जनगणना 2011 की जन्मदर के अनुसार आंशिक परिवर्तन करते हुये पुनः जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जन्म दर के अनुसार अनुमानित नवजात शिशुओं की संख्या के आधार पर प्रथम छमाही हेतु आशाओं के गृह भ्रमण हेतु जनपदों को प्रतिपूर्ति राशि अवमुक्त की जा रही है। जनपद ब्लाकों को उनके क्षेत्र में अनुमानित जीवित जन्मों के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जाये।

आशाओं को वर्ष 2017–18 से प्रतिमाह निर्धारित किये गये नवीन लक्ष्य के अनुसार वास्तविक नवजात शिशुओं के गृह भ्रमण के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। धनराशि का व्यय उपरोक्त दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।

वित्त पोषण

वर्ष 2017–18 हेतु होमबेस्ड न्यूबार्न केयर (एच0बी0एन0सी0) कार्यक्रम अन्तर्गत माड्यूल 6 एवं 7 में प्रशिक्षित आशाओं को शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त गृह भ्रमण के उपरान्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने हेतु मिशन फ्लैक्सीपूल मद में **FMR Code-B1.1.3.2.1 पर संलग्न जनपदवार तालिकानुसार** 6 माह हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि का नियमानुसार समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण–

महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुये होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि व्यय करें तथा होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश के ई–मेल hbncupreport@gmail.com पर दिशा निर्देशों के साथ संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट– यदि जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो मांग पत्र व्यय विवरण के साथ प्रेषित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/HBNC/18–22/2017–18/1096-75-9 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **अपर मुख्य सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक, परिवार कल्याण**, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. **अधिशासी निदेशक,** टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (TSU-UP) रतन स्क्वायर टावर लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त जिलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **संयुक्त निदेशक,** परिवार कल्याण, प0क0, महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. **महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. **हैल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ**, बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य